संख्याः 72भू0कय/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 08 मई, 2008

विषयः—**श्री नवीन कुमार पुत्र स्व0 श्री बालकिशन दास निवासी गुडगॉव हरियाणा तथा विजेन्द्र यादव पुत्र श्री गणेशीलाल, निवासी ग्राम खेडकी दौला, गुडगॉव हरियाणा द्वारा जनपद उधमसिहनगर की तहसील बाजपुर के ग्राम विक्रमपरु में ओधोगिक प्रयोजन(कोरोगेटेड बॉक्स) लगाने हेतु कुल 1.216 है0 भूमि कय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 443/सात—स0भू0अ0/2007 दिनांक 26 मार्च, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री नवीन कुमार पुत्र स्व0 श्री बालकिशन दास निवासी गुडगॉव हरियाणा तथा विजेन्द्र यादव पुत्र श्री गणेशीलाल, निवासी ग्राम खेडकी दौला, गुडगॉव हरियाणा द्वारा जनपद उधमसिहनगर को औधोगिक प्रयोजन हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जगींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर, उधमसिंहनगर के खाता सं0—207 के खसरा नं0 270/3/4 रकबा 2.314 है0 भूमि में से **कुल 1.216 है0** भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः—

1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

.....(2)

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसें कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिनके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। उक्त अवधि के भीतर प्रस्तावित योजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।

7– प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) 2005 के अनुरूप किया जायेगा।

8– कय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानको एंव भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– प्रस्तावित उधोग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र इकाई के द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार मात्र कोरेगेटेड बॉक्स निर्माण से सम्बन्धित कियाकलापों की स्थापना हेतु ही किया जाय

.....(3)

11– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

12– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं यथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि विभागों से औपचारिकतायें/अनापत्तियॉ प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सावर्जनिक उपयोग की भूमि या अन्य किसी भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जायेगा।

14– भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– प्रश्नगत इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औधोगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

16– भू–उपयोग परिवर्तन सहित अन्य सभी वांछित अनापत्तियां/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेंगी।

17– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रश्नगत अनापत्ति/ सहमति पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं के लिये आधार के रूप में उद्धत नहीं की जा सकेगी।

18– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

.....(4)

2– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्रम एंव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
6– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
7– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2–न्यूकैन्ट रोड़, सिडकुल, देहरादून।
8– श्री नवीन कुमार पुत्र स्व श्री बालकिशनदास, श्री विजेन्द्र यादव, पुत्र श्री गणेश लाल, निवासी ग्राम खेड़कीदौला, गुड़गॉव, हरियाणा।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।